# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 361/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1– जेठाराम पुत्र किशनाराम<br>2– ओमाराम पुत्र किशनाराम<br>3– झुमरराम पुत्र किशनाराम<br>4– सीयाराम पुत्र किशनाराम<br>5– सम्पत पुत्र किशनाराम<br>6– पाबूराम पुत्र मेगाराम<br>7– खेताराम पुत्र मेगाराम<br>8– भगवानाराम पुत्र मेगाराम<br>9– हरखाराम पुत्र मेगाराम<br>10–अणची बेवा मेगाराम<br>11–ताजूराम पुत्र लिखमाराम<br>सभी जातियान जाट निवासीगण गांव चाडी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर | | 1– पूनीदेवी पुत्री मोटिया उर्फ मोटाराम पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी बामणियावास तहसील व जिला नागौर<br>2– हरकूदेवी पुत्री मोटिया उर्फ मोटाराम पत्नी श्रवणराम निवासी कृष्णनगर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर<br>3– रामूराम पुत्र दूधाराम<br>4– मोहनराम पुत्र दुधाराम<br>5– हीराराम पुत्र दुधाराम<br>6– मुलतानराम पुत्र दुधाराम<br>7– रूपाराम पुत्र दुधाराम<br>8– धूडी बेवा दुधाराम<br>सभी जाति जाट निवासी गांव चाडी तहसील फलोदी जिला जोधपुर<br>9– सुगनीदेवी पुत्री मेगाराम पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी पुनासर तहसील ओसियां जिला जोधपुर<br>10–मोहनी पुत्री मेगाराम पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी हरलाया तहसील ओसियां जिला जोधपुर<br>11–पारू पुत्री किशनाराम पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी बरसालू तहसील ओसियां जिला जोधपुर<br>12–ग्राम पंचायत चाडी जरिये सरपंच<br>13–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2017 जो राजस्व अपील संख्या 16/2012 अनवान पूनीदेवी वगैरा बनाम अणची वगैरा मे दिनांक 18–5–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री एल.आर.पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 1 से 8 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13 की ओर से ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

## निर्णय

दिनांक 4–02–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चाडी तहसील फलोदी के नामांतरकरण संख्या 568 मे वर्णित कुल 10 खसरान की कुल 256.07 बीघा भूमि लिखमा, सतीया पि0 तुलछा, मोटिया पुत्र पुरखा जाति जाट सा0 देह के संयुक्त खातेदारी की थी । सहखातेदार मोटिया पुत्र पुरखा जाट के फोत होने पर मोटिया को

लावल्द फोत होना बताते हुए उसके हिस्से के खातेदारी की भूमि उक्त नामांतरकरण मे वर्णित अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत चाडी चोतीना द्वारा दिनांक 27–9–77 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 568 के विरूद्ध वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष वर्ष 2012 मे यह कथन करते हुए पेश की कि वे मृतक खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम की पुत्रियां होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार वे प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जिवित होते हुए उनके पिता की मृत्यु होने पर उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 568 सहखातेदार मोटिया को लावल्द फौत होना बताते हुए अन्य सहखातेदारो के नाम भरकर पटवारी हल्का चाडी द्वारा पेश किया तथा मृतक के वा रेसान बाबत जांच किये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत चाडी चोतीना द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 568 स्वीकृत कर दिया, जबकि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मोटिया की जायंदा पुत्रिया तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जिवित है इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत चाडी चोतीना द्वारा स्वीकृत उक्त म्युटेशन संख्या 568 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने पर विलंब से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमा करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 568 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फलोदी को मृतक खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम के विधिक वारिसान के बारे मे अपीलांट्स व रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सबूत के खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम का अपीलाधीन भूमि मे उसके हिस्से का नामांतरकरण विधि अनुसार नये सिरे से स्वीकृत करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 568 जो कि दिनांक 27–9–1977 को मजमे आम मे स्वीकृत किया गया था जिसकी जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को प्रारंभ से ही थी परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति के लगभग 35 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की जो पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारीज योग्य थी, वकील अपीलांट ने कथन किया रेस्पो0 को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रारंभ से ही थी परंतु वे 35 वर्ष तक चुप बेठी रही और किसी सक्षम न्यायालय मे कोई कार्यवाही नही की गई जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति मे रेस्पो0 की मौन स्वीकृति थी तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो कारण दर्शाये गये है वह संतोषजनक नही होने से अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर देनी चाहिये थी । वकील अपीलांट ने मयाद के

बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विलंब का कोई ठोस एवं सतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया जबकि धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी कैसे व कब तथा किसके माध्यम से हुई ऐसा कोई उल्लेख नही किया हुआ होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए उनके समक्ष 35 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 568 को निरस्त करने बाबत पारित आदेश विधिर मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण का ही प्रारंभ से कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि पर अपीलांटगण का मकानात व पशु बाडा आदि बनाये हुए है तथा अपीलांटगण परिवार सहित उक्त खातेदारी भूमि पर निवास करते आ रहे है जिसकी पूर्ण जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को प्रारंभ से ही है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन पारित करते समय प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अपीला ीन भूमि मे से अपने अधिकार अपने ताऊ के पक्ष मे त्याग दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्य अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे 35 वर्ष विलंब से अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 568 स्वीकृत होने के बाद सहखातेदार लिखमाराम एवं सताराम का भी देहांत हो चुका है तथा उसके बाद उनके विरासत के नामांतरकरण भी स्वीकृत हो चुके है तथा उस वक्त भी मौके व कब्जे की जांच की गई तब भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही मिला तथा यह भी अवगत कराया कि अपीलाधीन भूमि का विभाजन होकर तथा बेचा आदि होकर भी कब्जे मे परिवर्तन हो चुके है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि सहखातेदार मोटिया की पुत्रियां है, वे नाबालिग होने से मोटिया के फोत होने के बाद अन्य सहखातेदार लिखमा एवं सता के साथ ही रही तथा पली बडी हुई तथा उनकी शादी भी उक्त सहखातेदारो ने ही करवाई परंतु इन सभी तथ्यो की जानकारी होते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने आपसी पारिवारिक मनमुटाव के कारण एवं भूमि की कीमते बढ जाने के कारण बहकावे मे आकर अधीनस्थ न्यायालय मे 35 वर्ष के विलंब से अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-5-2017 को निरस्त कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 568 को बहाल रखने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पो0 संखय 1 व 2 जो कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार मोटिया की जायंदा पुत्रीयां है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस

जीवित होते हुए उसे उसके पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए तथा मृत खातेदार मोटिया को लावल्द बताते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 568 अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया था जो प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण एवं शून्य एवं वॉईड एब इनिश्यो था इसलिए ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं वॉईड एब इनिश्यो आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विचार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे दौरान कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयो मे यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर प्रबल हो तो पक्षकार को मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नही रखना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण पर पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 एवं म्युटेशन संख्या 568 का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । ग्राम चाडी तहसील फलोदी के नामांतरकरण संख्या 568 मे वर्णित भूमि के सहखातेदार मोटिया को लावल्द फोत होना बताते हुए उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का म्युटेशन अन्य सहखातेदारो के नाम स्वीकृत कर दिया, जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कमशः पूनीदेवी एवं हरकूदेवी मृतक खातेदार मोटिया की जांयदा पुत्रियां है इस तथ्य को अपीलांट भी स्वीकार करते है । उक्त म्युटेशन संख्या 568 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–5–2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामांतरकर। संख्या 568 को निरस्त कर तहसीलदार फलोदी को मृतक खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम के समस्त विधिक वारिसान के बारे मे जांच कर उन्हे सुनवाई का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सबूत के खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम का अपीलाधीन भूमि मे उसके हिस्से का नामांतरकरण विधि अनुसार नये सिरे से स्वीकृत करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई, जो समर्थन योग्य है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मोटिया की जांयदा पुत्रियां है, इस तथ्य का अपीलांट ने कोई खण्डन नही किया है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मोटिया की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 568 के कॉलम संख्या 14 मे मृत खातेदार मोटिया को भी लावल्द बताते हुए उक्त म्युटेशन अन्य सहखातेदारो के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक मोटिया की जायंदा पुत्रीयां जीवित थी इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 568 को निरस्त कर जो अपीलाधीन आदेश

पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 568 जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं एब इनिश्यो वॉइड था तो ऐसे आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा ऐसे आदेशो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 4–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर